भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3896

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- पीएम-किसान योजना हेतु पात्रता

3896. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 1 जनवरी 2019 के बाद पारिवारिक विभाजन, उत्तराधिकार या भूमि के विभाजन के कारण स्वतंत्र भू-धारक बनने वाले कई पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का पात्रता के लिए निर्धारित तिथि में ढील देने का या ऐसे पात्र किसानों को योजना में शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे किसानों को बकाया राशि सहित सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) पीएम-किसान योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि दिनांक 01.02.2019 है। इसके अतिरिक्त, यदि भू-स्वामी की मृत्यु के परिणामस्वरूप उत्तराधिकार के माध्यम से भूमि का स्वामित्व दिनांक 01.02.2019 के बाद परिवर्तित हो जाता है, तो उत्तराधिकारियों का परिवार, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

पीएम-किसान योजना के तहत, सेवा वितरण को ज़्यादा बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर पात्र लाभार्थियों के लिए लैंड सीडिंग, बैंक खातों के साथ आधार लिंक करना और ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। योजना के तहत लाभार्थी के तौर पर पात्र होने और लाभ पाने के लिए किसानों द्वारा अनिवार्य शर्तों को पूरा किया जाना और उनका सत्यापित होना ज़रूरी है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लाभार्थियों का नामांकन करने और उनके डेटा का सत्यापन करना के लिए अधिदेशित किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पहचाने और सत्यापित किए गए लाभार्थियों के आधार पर ही फ़ंड जारी किए जाते हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।
